आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph.: 0141-2706550

क्रमाक :एफ 7(4)चुनाव 2023/अकाद/आकाशि/2023–02979/ दिनांक

प्राचार्य,
समस्त राजकीय/निजी महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः–मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग से प्राप्त पत्रों की पालना के संबंध में।

संदर्भः– मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज. जयपुर का पत्र क्रमांक एफ 3.(1)(9)प्रथम /निर्वा / 2023/5921 दिनांक 05.10.2023 एवं अ.शा.टीप क्रमांक प 8.(2)(1)निर्वा/2023/6161 दिनांक 09.10.2023 तथा शासन उपसचिव–प्रथम, उच्च शिक्षा ग्रुप–3 विभाग का पत्र क्रमांक प. 10(16)शिक्षा/ग्रुप–3/ 2023–02580/RajKaj Ref 4892031 दिनांक 11.10.2023।

उपरोक्त विषयान्तर्गत मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निवार्चन विभाग से प्राप्त संदर्भित पत्रों की छायाप्रति संलग्न कर निर्देशानुसार लेख है कि विधानसभा आम चुनाव, 2023 हेतु मतदान केन्द्रों, ई.वी.एम. मशीनों के भण्डारण, मतगणना तथा सुरक्षा बलों के आवास हेतु भवन व फर्नीचर समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी(कलक्टर्स) को उपलब्ध कराया जाना एवं उक्त पत्रों में वर्णित निर्देशों की पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा(ग्रुप–3)विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. वेबसाइट प्रभारी अपलोड करने हेतु।

(प्रो. पद्मश्री पट्नायक)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)

RajKaj Ref
4944388

Signature valid
Digitally signed by Padmashree Pattnaik
Designation : Professor
Date: 2023.10.20 17:42:53 IST
Reason: Approved

<u>अत्यावश्यक</u>

राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग

क्रमांक : प. 10(16)शिक्षा/ग्रुप–3/2023–02580 जयपुर, दिनांकः

आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा,
राजस्थान, जयपुर

विषयः–मुख्य निर्वाचन अधिकरी, निर्वाचन विभाग से प्राप्त पत्रों की पालना के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग से प्राप्त पत्रों दिनांक 05.10.2023 (मय संलग्नक) तथा 09.10.2023 की छायाप्रति संलग्न कर निदेशानुसार लेख है कि विधानसभा आम चुनाव, 2023 हेतु मतदान केन्द्रों, ई.वी.एम. मशीनों के भण्डारण, मतगणना तथा सुरक्षों बलों के आवास हेतु भवन व फर्नीचर समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर्स) को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश प्रदान किये है।

कृपया निर्वाचन विभाग से प्राप्त संलग्न पत्रों में वर्णित निर्देशों की पालना किये जाने हेतु संबंधितों को निर्देशित करने का श्रम करावें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(बृजमोहन नोगिया)
शासन उप सचिव–प्रथम

RajKaj Ref
4892031

Signature Not Verified

Digitally signed by Brij Mohan Nogia
Designation : Deputy Secretary
Date: 2023.10.11 15:20:47 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

एफ 3.(1)(9)प्रथम/निर्वा/2023/5921 जयपुर, दिनांकः 05/10/2023.

आदेश

भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक 437/6/I/ECI/INST/FUNCT/MCC/2018 दिनांक 06.10.2018 की पालना में आदर्श आचार संहिता (MCC) प्रभाव में रहने की अवधि में विभिन्न विभागों द्वारा आदर्श आचार संहिता के संबंध में स्पष्टीकरण/शिथिलता संबंधी प्रकरण सीधे ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी अथवा भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित नही किये जावेंगें। आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में मुख्य सचिव, राजस्थान की अध्यक्षता में निम्नानुसार स्क्रिनिंग समिति का गठन किया जाता है–

(i) मुख्य सचिव	अध्यक्ष
(ii) अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव (संबंधित विभाग जिनका प्रस्ताव है)	सदस्य
(iii) प्रमुख शासन सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग)	सदस्य

CCE
JS, Plan
JS, TE
DS, HE
JS, HE

आयोग के निर्देशानुसार किसी भी विभाग से आदर्श आचार संहिता संबंधी प्रकरण प्राप्त होने पर, उसका परीक्षण सर्वप्रथम आयोग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अन्तर्गत (ECI Portal) पर उपलब्ध Compendium/Instruction के अनुसार) उक्त स्क्रिनिंग समिति द्वारा किया जावेगा तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मध्यम से ही प्रस्ताव आयोग को प्रेषित किये जावेंगें। समस्त विभाग यह सुनिश्चित करें कि अपनी मूल पत्रावली मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में प्रेषित नहीं करें। संदर्भित किये जाने वाले प्रकरण स्वतः स्पष्ट टिप्पणी के साथ प्रेषित किये जावेंगें।

प्रशासनिक विभाग यह भी सुनिश्चित करें कि यदि किसी प्रकरण के निस्तारण की समय सीमा निर्धारित है तो ऐसी स्थिति में प्रकरण कम से कम एक सप्ताह पूर्व प्रेषित किया जावें।

05-10-2023

भवदीय,

(प्रवीण गुप्ता)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

एफ 3.(1)(9)प्रथम/निर्वा/2023/5921 जयपुर, दिनांक : 05/10/2023.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. वरिष्ठ निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदया, राजस्थान सरकार।
2. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान सरकार।
3. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान सरकार।
4. समस्त अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजकीय निगम/बोर्ड/पब्लिक सेक्टर उपक्रम।
5. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर्स) राजस्थान।
6. समस्त अधिकारी निर्वाचन विभाग, राजस्थान।

डायरी संख्या 5950 दिनांक 06/10/23

उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

Scanned by CamScanner

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001

No. 437/6/1[illegible] I/INST/FUNCT/MCC/2018 Dated: 6th October, 2018

To

The C[illegible] Secretaries to the
Governments of-
(i) Ch[illegible]a[illegible]garh, Raipur;
(ii) Madhya Pradesh, Bhopal;
(iii) Mi[illegible]oram, Aizawl,
(iv) Raj[illegible]han, Jaipur;
(v) Te[illegible]ana, Hyderabad.

Subject: Gener[illegible] Elections to the State Legislative Assemblies of Chhattisgarh, Madhya Prade[illegible] Mizoram, Rajasthan and Telangana, 2018- MCC- Screening Committee-rega[illegible]ng

Sir/Madam,

I am d[illegible]d to state that the Commission has issued detailed guidelines and instructions on regulation [illegible] enforcement of various aspects of the Model Code of Conduct (MCC) during election time [illegible] umber of proposals relating to MCC are being received in the Commission from CEOs and somet[illegible]es from the concerned departments directly. The Commission has decided that a Screening Committee headed by Chief Secretary of the State shall be constituted with following composition –

(i)	Ch[illegible]retary	Chairman
(ii)	Se[illegible]/Pr. Secretary of the department(s) to [illegible]h the proposal relates.	Member
(iii)	Se[illegible]/Pr. Secretary of the General Administration/Coordination de[illegible]nt of the State.	Member

2. The [illegible]ittee shall examine each proposal, before sending it to ECI, through the CEO concerned, in [illegible]ght of the Commission's existing instructions/clarifications available in the form of compe[illegible]/instructions available in 'ECI portal'. The proposals cleared by the Screening Committee sh[illegible]mitted to the CEO along with full details and a note on urgency, i.e. why the proposal [illegible]ait till completion of poll/election. The CEO shall forward only such proposal(s) th[illegible]leared by the aforesaid Screening Committee, to the Commission along with his/her comm[illegible]mediately. Hence, all departments of the State may be advised not to forward any re[illegible]e directly to the Commission. Further, no department of the Govt. shall send original file to t[illegible]O's office but only a self-contained reference be sent through the Screening Committee

3. Acco[illegible]y, the Commission has directed that the aforesaid Committee shall be constituted an[illegible]nalized immediately in these states. A copy of the order constituting the

Scanned by CamScanner

Screening Comm[illegible] shall be sent to the Commission latest by 3 pm of <u>10th October, 2018</u>. The CEO shall provide [illegible] of MCC guidelines to the Screening Committee.

4. Further it may be noted that the Commission takes reasonable time to dispose of a reference, therefore last minute references should be avoided.

Yours faithfully,

(SUMIT MUKHERJEE)
PRINCIPAL SECRETARY

Scanned by CamScanner

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान ELECTION URGENT
शासन सचिवालय, जयपुर

विषयः– विधानसभा आम चुनाव, 2023 – भवन एवं फर्नीचर उपलब्ध कराने हेतु।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य में विधानसभा आम चुनाव, 2023 के लिए मतदान तिथि 23 नवम्बर, 2023 भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा नियत की गई है। मतदान दल दिनांक 22 नवम्बर, 2023 को अपने गन्तव्य पर पहुँचेंगे। मतगणना समस्त जिलों के मुख्यालयों पर दिनांक 03 दिसम्बर, 2023 को होगी।

अतः निवेदन है कि विधानसभा आम चुनाव, 2023 हेतु मतदान केन्द्रों, ई.वी.एम. मशीनों के भण्डारण, मतगणना तथा सुरक्षा बलों के आवास हेतु भवन व फर्नीचर समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर्स) को उपलब्ध कराये जाने हेतु अपने अधीनस्थ विभागों/अधिकारियों को निर्देशित करने का श्रम करावें एवं एक प्रति इस विभाग को भी भिजवायें।

(प्रवीण गुप्ता)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

कार्यालय प्रमुख शासन सचिव
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
डायरी संख्या 6037
10/10/23

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, तकनीकी एवं उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन सचिव, प्रारम्भिक एवं माध्यमिकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।

अ.शा.टीप क्रमांक प.8(2)(1)निर्वा/2023/6161
जयपुर, दिनांक :– 09.10.2023

प्रतिलिपिः– समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर्स) राजस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

विशेषाधिकारी, निर्वाचन विभाग
राजस्थान, जयपुर